बाड़मेर जिले के बालोतरा ब्लाक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पर

एक अध्ययन

आइडिया संस्था, बालोतरा के सहयोग से

RESOURCE INSTITUTE for HUMAN RIGHTS, RAJASTHAN
S-6 Ankur Apartment Flat No.- 10 Jyoti Nagar Ext. Jaipur
Email- rihr.rajasthan@gmail.com, research.vijay@gmail.com,
Mobile- 09460387130, 9461042874

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक अध्ययन
बाड़मेर जिले की बालोतरा पंचायत समिति

1943 में दूसरे विश्व यूद्ध के बाद देश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा उत्पादन में अत्यन्त कमी हो गई थी जिसके चलते देश मे इनकी कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी उस समय ब्रिटिश सरकार ने देश में पहली बार राशनिंग व्यवस्था को लागू किया जिसके तहत आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतो व मात्राओं पर नियन्त्रण प्रारम्भ किया गया। यहीं से देश में राशन प्रणाली की शुरूआत हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 1955 में भारत सरकार ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी, अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि व जमाखोरी को रोकने के लिये 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' बनाया। 1965 में देश में अनाज के भन्डारण, परिवहन, वितरण व बिक्री को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की स्थापना की गई। इसके माध्यम से देश में सषर्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये प्रयार्प्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया।

1969 में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई शुरूआत हुई जब देश की चौथी व पांचवी वार्षिक योजना में इसको शामिल किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में यह सुनिश्चित किया गया कि देश के गरीब व ग्रामीण लोगो को नियमित रूप से अनाज उपलब्ध करवाया जाये। इसके साथ ही एफ.सी.आई. के माध्यम से अनाज के प्रयार्प्त भण्डारण को सुनिश्चित किया गया तथा एफ.सी.आई. को जिम्मेदार बनाया गया।

1972 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश में 12 लाख राशन की दुकाने थी जिन पर 10 आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया जाता था जिनमें अनाज, दालें, शक्कर, खाद्ध तेल, दूध, जूते–चप्पल, केरोसीन, नोटबुक व कपडे धाने का साबुन शामिल था। इसके उपरान्त 1979 में राष्ट्रीय उत्पादन व वितरण योजना लागू की गई जिसमें 13 वस्तुओं को शामिल किया गया था जिसमें अनाज एंव अनाज के उत्पाद, चाावल, केरोसीन, खाद्ध तेल, सस्ता सूती कपडा माचिस, नहाने व धोने का साबुन, नोट बुक, चाय व काफी शामिल थे। 2008 में देश 22 लाख राशन की दुकाने हो गई है।

नयी आर्थिक नीति के लागू होन के उपरान्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक बदलाव आने लगे। राशन की दुकानों पर वितरित होने वाली वस्तुओं की संख्या धीरे–धीरे कम होने लगी और 1997 के बाद राशन की दुकानों पर सिर्फ गैहूँ, चावल, शक्कर व केरासीन का ही वितरण किया जाने लगा।

1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक और व्यापक परिवर्तन आया जिसके तहत इसे 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के रूप में शुरू किया गया। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) व गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परीवारों (ए.पी.एल.) दो वर्गो में बांट दिया गया तथा दोनों के लिये गैहूँ, चावल, शक्कर व केरोसीन की अलग–अलग दरें निर्धारित कर दी गई।

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1964 में राज्य में खाद्य एंव नागरीक आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समस्त कार्य इस विभाग के अधीन कर दिये गये। साथ ही जिला स्तर पर रसद विभागों का गठन कर वहां जिला रसद अधिकारी नियुक्त किये गये। इन रसद अधिकारियों का मुख्य कार्य जिला स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति व कालाबाजारी पर नियन्त्रण करना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना था।

वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 22991 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 5298 शहरी क्षेत्र में तथा 17693 ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। समय पर उचित मूल्य की दुकानों पर गैहूँ, चावल, केरोसीन व शक्कर की आपूर्ति के लिये 169 थोक विक्रेताओं है।

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु जिला स्तर, तहसील स्तर व उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति का गठन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तहसील स्तर पर पंचायत समिति प्रधान इसका अध्यक्ष होता है दुकान स्तर पर उस वार्ड का पार्षद/पंच अध्यक्ष होता हैं। इस निगरानी में समिति में जन प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता व विभाग के अधिकारी सदस्य होते हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली वस्तुओं की आमद, वितरण व्यवस्था व दुकान संचालन पर निगरानी करना है।

वर्तमान में राज्य में 16.52 लाख बी.पी.एल. परिवार, 9.32 लाख अन्त्योदय परिवार तथा 122.16 ए.पी.एल परिवारों के पास राशन कार्ड है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बी.पी.एल. व ए.पी.एल. को मिलने वाले सामानों की कीमते निम्न प्रकार है।

सारणी–1 बी.पी.एल. व ए.पी.एल. को मिलने वाले सामानों की दर व मात्रा

वर्ग / वस्तु	गैहूँ	चावल	शक्कर	कैरोसीन
बी.पी.एल.	4.70रू.प्रति किलो	6.30रू.प्रति किलो	13.50 रू.प्रति किलो	10 रू. प्रति लीटर
ए.पी.एल.	6.80रू.प्रति किलो	9.00रू.प्रति किलो	नहीं	
अन्त्योदय परिवार	2.00रू.प्रति किलो	3रू.प्रति किलो	13.50 रू.प्रति किलो	10 रू. प्रति लीटर
अन्नपूर्णा	10 किलो अनाज निशुल्क			
मात्रा	35 किलो	35 किलो	500 ग्राम प्रति इकाई	

स्रोत– प्रगति प्रतिवेदन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, 2008–09

केरोसीन का वितरण जिन परिवारों के पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है उन्हें 5 लीटर प्रति माह, जिन के पास एक गैस सलेण्डर है उन्हें 2 लीटर प्रति माह 10 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध करवाया जाता है। जिनके पास दो सलेण्डर है उन्हें राशन की दुकान से कैरोसीन नहीं दिया जाता हैं।

राज्य स्तर पर खाद्यान के आंवटन व उठाव की स्थिति

राज्य में विगत चार वर्षो (2004–05 से 2007–08) में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों को खाद्यान के आंवटन व उठाव की स्थिति का विश्लेषण करने ज्ञात होता है कि बी.पी.एल. के लिये आंवटित गैहूँ की मात्रा का 90 प्रतिशत से अधिक उठाव कर वितरित कर दिया गया। सारणी–1 में बी.पी.एल. व ए.पी. एल. के गैहूँ व चावल के आंवटन व उठाव को दर्शाया गया है। बी.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित

होने वाले गैहूँ की मात्रा में 2004–05 की तुलना में 2007–08 में 41.7 प्रतिशत की कमी हुई। वहीं इसके उठाव/वितरण में 40.8 प्रतिशत की कमी हुई। ए.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले गैहूँ की मात्रा में 2004–05 की तुलना में 2007–08 में 89.2 प्रतिशत की कमी हुई। वहीं इसके उठाव/वितरण में 21.9 प्रतिशत की कमी हुई।

इसके विपरित बी.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले चावल की मात्रा में 2004–05 की तुलना में 2007–08 में लगभग 24 गुणा वृद्धि हुई जबकि 2004–05 में चावल के आंवटन की तुलना में उठाव/वितरण शुन्य था। ए.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले चावल की मात्रा में 2004–05 की तुलना में 2007–08 में चावल का आंवटन ही नहीं किया गया। राजस्थान के अधिंकांश भागों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चावल मुख्य भोजन नहीं हैं यहा लोगों का मुख्य भोजन गैहूँ व मोटा अनाज (मक्का, ज्वार व बाजरा) है।

सारणी–2 बी.पी.एल. व ए.पी.एल. के लिये अनाज के आंवटन व उठाव की स्थिति

मात्रा मै. टनों में

	वर्ष	बी.पी.एल.			ए.पी.एल.		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
गैहूँ	2004–05	701294	650466	**92.8%**	2696376	302814	**11.2%**
	2005–06	517808	448715	**86.7%**	2188544	198433	**9.1%**
	2006–07	434372	415671	**95.7%**	526954	153529	**29.1%**
	2007–08	408640	385339	**94.3%**	290948	236554	**81.3%**
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		***-41.7%***	***-40.8%***		***-89.2%***	***-21.9%***	
चावल	2004–05	8162	0	**0.0%**	67380	0	**0.0%**
	2005–06	75574	19999	**26.5%**	575212	190	**0.0%**
	2006–07	200934	100952	**50.2%**	810936	9825	**1.2%**
	2007–08	202392	146915	**72.6%**	0	0	**0.00**
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		***2379.7%***	**-**		***-100.0%***	**-**	**-**
कुल अनाज	2004–05	709456	650466	**91.7%**	2763756	302814	**11.0%**
	2005–06	593382	468714	**79.0%**	2763756	198623	**7.2%**
	2006–07	635306	516623	**81.3%**	1337890	163354	**12.2%**
	2007–08	611032	532254	**87.1%**	290948	236554	**81.3%**
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		***-13.9%***	***-18.2%***	**-**	***-89.5%***	***-21.9%***	**-**

स्रोत– प्रगति प्रतिवेदन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, 2008–09

वर्ष 2008–09 में माहवार बी.पी.एल. व ए.पी.एल. के लिये अनाज के आंवटन व उठाव की स्थिति

राज्य में अप्रैल 2008 से मार्च 2009 में की बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों को खाद्यान के आंवटन व उठाव की स्थिति का विश्लेषण करने ज्ञात होता है कि बी.पी.एल. के लिये आंवटित गैहूँ की मात्रा का 95 प्रतिशत से अधिक उठाव कर वितरित कर दिया गया। सारणी–3 में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. के गैहूँ व चावल के आंवटन व उठाव को दर्शाया गया है। बी.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले गैहूँ की मात्रा में अप्रैल 08 की तुलना में मार्च 09 में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं इसके उठाव/वितरण में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले गैहूँ की मात्रा में अप्रैल 08

की तुलना में मार्च 09 में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं इसके उठाव/वितरण में 181 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसके विपरित बी.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले चावल की मात्रा में अप्रैल 08 की तुलना में मार्च 09 में आंवटन व उठाव/वितरण शुन्य हो गया। ए.पी.एल. परिवारों के लिये आंवटित होने वाले चावल आंवटन ही नहीं किया गया। (देखें सारणी–3)

सारणी–3 2008–09 में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. के लिये अनाज के आंवटन व उठाव की स्थिति

मात्रा मै. टनों में

अनाज	माह	बी.पी.एल.			ए.पी.एल.		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
गैहूँ	अप्रैल 08	35595	33247	**93.4%**	16959	11249	66.3%
	मई 08	35595	37204	**104.5%**	16959	17918	105.7%
	जून 08	52461	51478	**98.1%**	17204	16290	94.7%
	जुलाई 08	52461	53290	**101.6%**	22204	20283	91.3%
	अगस्त 08	52461	51941	**99.0%**	22204	20618	92.9%
	सितम्बर 08	52461	52188	**99.5%**	22204	21282	95.8%
	अक्टूबर 08	52461	52471	**100.0%**	32204	22927	71.2%
	नवम्बर 08	52461	52163	**99.4%**	32204	34014	105.6%
	दिसम्बर 08	52461	52293	**99.7%**	32204	30879	95.9%
	जनवरी 09	52461	51915	**99.0%**	32204	26487	82.2%
	फरवरी 09	52461	50634	**96.5%**	32204	34148	106.0%
	मार्च 09	52461	50782	**96.8%**	32204	31569	98.0%
योग		**595800**	**589606**	**99.0%**	**310958**	**287664**	**92.5%**
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		**47%**	**53%**		**90%**	**181%**	**200.9%**
चावल	अप्रैल 08	16866	14033	**83.2%**	245	37	**15.1%**
	मई 08	16866	12785	**75.8%**	245	348	**142.0%**
	जून 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	जुलाई 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	अगस्त 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	सितम्बर 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	अक्टूबर 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	नवम्बर 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	दिसम्बर 08	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	जनवरी 09	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	फरवरी 09	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
	मार्च 09	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**
योग		**33732**	**26818**	**0.00**	**490**	**385**	**0.00**
कमी/वृद्धि प्रतिशत में							

स्रोत– प्रगति प्रतिवेदन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, 2008–09

अन्त्योदय एंव अन्नपूर्णा अन्न योजना

अन्त्योदय एंव अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2001 में प्रारम्भ की गई। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग जो बी.पी.एल. परिवारों में से भी अत्यधिक गरीब हैं। इस प्रकार के लक्षित परिवारों को 2 रूपये किलो में गैहूँ व तीन रूपये किलो में चावल प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवा जाता हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं परन्तु उन्हें किसी प्रकार की पेंशन नही मिल रही है उन्हें प्रति माह 10 किलो अनाज निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में 9.32 लाख अन्त्योदय परिवार व 1.05 लाख अन्नपूर्णा के लाभान्वित है। सारणी– 4 में अन्त्योदय व अन्नपूर्णा योजना के लिये खाद्यान्न के आंवटन व उठाव के आंकडों को दर्शाया गया है।

सारणी– 4 अन्त्योदय व अन्नपूर्णा योजना के लिये खाद्यान्न के आंवटन व उठाव

मात्रा मै. टनों में

	वर्ष	अन्त्योदय			अन्नपूर्णा		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
गैहूँ	2004–05	248194	228637	***92.1%***	12635	12258	***97.0%***
	2005–06	336195	293333	***87.3%***	12635	13642	***108.0%***
	2006–07	374394	341639	***91.3%***	12635	11626	***92.0%***
	2007–08	378600	357826	***94.5%***	12635	11655	***92.2%***
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		***52.5%***	***56.5%***		***0.0%***	***-4.9%***	
चावल	2004–05	2890	325	***11.2%***	0	0	***0.00***
	2005–06	3823	2318	***60.6%***	0	0	***0.00***
	2006–07	11320	4518	***39.9%***	0	0	***0.00***
	2007–08	12888	6435	***49.9%***	0	0	***0.00***
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		***346.0%***	***1880.0%***		***0.00***	***0.00***	
कुल अनाज	2004–05	251084	228962	***91.2%***	12635	12258	***97.0%***
	2005–06	340018	295651	***87.0%***	12635	13642	***108.0%***
	2006–07	385714	346157	***89.7%***	12635	11626	***92.0%***
	2007–08	391488	364261	***93.0%***	12635	11655	***92.2%***
कमी/वृद्धि प्रतिशत में		***55.9%***	***59.1%***		***0.0%***	***-4.9%***	

स्रोत– प्रगति प्रतिवेदन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, 2008–09

वर्ष 2008–09 में माहवार अन्त्योदय व अन्नपूर्णा के लिये अनाज के आंवटन व उठाव की स्थिति

सारणी–5 में वर्ष 2008–09 में राज्य में अन्त्योदय व अन्नपूर्णा योजना के लिये अनाज के आंवटन व उठाव/वितरण की स्थिति को दर्शाया गया है। सारणी के अनुसार प्रतिमाह इन दोनों योजनाओं के लिये आवटित गैहूँ की मात्रा का 95 प्रतिशत से अधिक गैहूँ का उठाव कर इसका वितरण कर दिया जाता है।

सारणी– 5 माहवार अन्त्योदय व अन्नपूर्णा के लिये अनाज के आंवटन व उठाव की स्थिति

मात्रा मै. टनों में

अनाज	माह	अन्त्योदय			अन्नपूर्णा		
		आवंटन	उठाव	प्रतिशत	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
गैहूँ	अप्रैल 08	31550	28800	***91.3%***	1053	248	***23.6%***
	मई 08	31550	31822	***100.9%***	1053	243	***23.1%***
	जून 08	32624	32887	***100.8%***	1053	1849	***175.6%***
	जुलाई 08	32624	31225	***95.7%***	1053	1178	***111.9%***
	अगस्त 08	32624	31626	***96.9%***	1053	985	***93.5%***
	सितम्बर 08	32624	32551	***99.8%***	1053	991	***94.1%***
	अक्टूबर 08	32624	32823	***100.6%***	1053	1007	***95.6%***
	नवम्बर 08	32624	32477	***99.5%***	1053	1047	***99.4%***
	दिसम्बर 08	32624	32236	***98.8%***	1053	987	***93.7%***
	जनवरी 09	32624	31757	***97.3%***	1053	968	***91.9%***
	फरवरी 09	32624	31059	***95.2%***	1053	993	***94.3%***
	मार्च 09	32624	31302	***95.9%***	1053	1040	***98.8%***
योग		**389340**	**380565**	***97.7%***	**12636**	**11536**	***91.3%***
कमी / वृद्धि प्रतिशत में		**3%**	**9%**		**0%**	**319%**	**0.00**
चावल	अप्रैल 08	1074	561	52.2%	0	0	0.00
	मई 08	1074	606	56.4%	0	0	0.00
	जून 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	जुलाई 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	अगस्त 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	सितम्बर 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	अक्टूबर 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	नवम्बर 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	दिसम्बर 08	0	0	0.00	0	0	0.00
	जनवरी 09	0	0	0.00	0	0	0.00
	फरवरी 09	0	0	0.00	0	0	0.00
	मार्च 09	0	0	0.00	0	0	0.00
योग		**2148**	**1167**		**0**	**0**	**0.00**
कमी / वृद्धि प्रतिशत में							

स्रोत– प्रगति प्रतिवेदन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग, 2008–09

बालोतरा ब्लाक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक अध्ययन

इस प्रारम्भिक अध्ययन में शामिल 10 गांवों में कुल 7069 राशन कार्डधारी थै। इनमें 988 बी.पी. एल. श्रेणी के, 448 अन्त्योदय अन्न योजना तथा 5781 ए.पी.एल श्रेणी के थे। अध्ययन में प्रत्येक गांव से 20 परिवारों को शामिल किया गया इनमें 10 परिवार बी.पी.एल. श्रेणी, 5–5 अन्त्योदय अन्न योजना व ए.पी.एल श्रेणी के थे। इस प्रकार 200 परिवारों को अध्ययन में शामिल किया गया। (देखें सारणी –1)

सारणी न. – 1

ग्रामवार कार्डधारकों की संख्या

	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	ए.पी.एल.	योग
गोलिया	61	26	704	791
कंवरली	51	35	293	379
बडनावा	148	82	0	82
नवातला	116	63	814	993
पारलू	89	23	1048	1160
रिछोली	215	38	738	991
खारड़ी	70	33	390	493
सराणा	45	25	823	893
सूरजबेरा	28	26	179	233
सोखडो की बेरी	165	97	792	1054
योग	**988**	**448**	**5781**	**7069**

अध्ययन में शामिल 200 परिवारों में 92 प्रतिशत (184 परिवार) हिन्दु, 7 प्रतिशत (14 परिवार) परिवार मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। एक प्रतिशत (2 परिवार) परिवारों के घर्म की जानकारी नहीं थी। (देखें सारणी –2)

सारणी न. – 2

सर्वेक्षण में शामिल कार्डधारकों की संख्या

कार्ड का प्रकार		धर्म			योग
		कोई जवाब नहीं	हिन्दु	मुस्लिम	
ए.पी.एल.	संख्या	0	50	0	50
	%	***0.0%***	***27.2%***	***0.0%***	***25.0%***
बी.पी.एल.	संख्या	1	89	9	99
	%	***50.0%***	***48.4%***	***64.3%***	***49.5%***
अन्त्योदय	संख्या	1	45	5	51
	%	***50.0%***	***24.5%***	***35.7%***	***25.5%***
योग	संख्या	2	184	14	200
	%	***100.0%***	***100.0%***	***100.0%***	***100.0%***

जातिगत आधार पर विश्लेषण करने देखते है। तो 59.5 प्रतिशत (119 परिवार) परिवार अनुसूचित जाति के 23.5 प्रतिशत (47 परिवार) अनुसूचित जनजाति के, 15 प्रतिशत (30 परिवार) अन्य पिछडा वर्ग के थे। एक परिवार सामान्य वर्ग का था। तीन परिवारों की जाति ज्ञात नही थी।

अनुसूचित जनजाति वर्ग में मुख्य रुप से मेघवाल समाज से लोग शामिल किये गये। अन्य पिछडा वर्ग में अधिकांश परिवार जाट समुदाय के थे। सामान्य वर्ग का एक परिवार राजपूत समुदाय से था। (देखें सारणी –3)

सारणी न. – 3

सर्वेक्षण में शामिल कार्डधारकों की संख्या

वर्ग		धर्म			योग
		कोई जवाब नहीं	हिन्दु	मुस्लिम	
कोई उत्तर नहीं	संख्या	2	1	0	3
	%	***100.0%***	***0.5%***	***0.0%***	***1.5%***
अनुसूचित जाति	संख्या	0	119	0	119
	%	***0.0%***	***64.7%***	***0.0%***	***59.5%***
अनुसूचित जनजाति	संख्या	0	47	0	47
	%	***0.0%***	***25.5%***	***0.0%***	***23.5%***
अन्य पिछडा वर्ग	संख्या	0	16	14	30
	%	***0.0%***	***8.7%***	***100.0%***	***15.0%***
सामान्य	संख्या	0	1	0	1
	%	***0.0%***	***0.5%***	***0.0%***	***0.5%***
योग	संख्या	2	184	14	200
	%	***100.0%***	***100.0%***	***100.0%***	***100.0%***

ए.पी.एल श्रेणी के 50 परिवारों में 64 प्रतिशत (32 परिवार) अनुसूचित जाति से, 26 प्रतिशत (13 परिवार) अनुसूचित जनजाति के तथा 10 प्रतिशत (5 परिवार) परिवार अन्य पिछडा वर्ग के थे। बी.पी.एल श्रेणी के 99 परिवारों में 61.6 प्रतिशत (61 परिवार) अनुसूचित जाति से 19.2 प्रतिशत (19 परिवार) अनुसूचित जनजाति के तथा 17.2 प्रतिशत (17 परिवार) परिवार अन्य पिछडा वर्ग के थे।

सारणी न. – 4

सर्वेक्षण में शामिल कार्डधारकों की संख्या

वर्ग		ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	योग
कोई उत्तर नहीं	संख्या	0	2	1	3
	%	***(0.0%)***	***(2.0%)***	***(2.0%)***	***(1.5%)***
अनुसूचित जाति	संख्या	32	61	26	119
	%	***(64.0%)***	***(61.6%)***	***(51.0%)***	***(59.5%)***
अनुसूचित जनजाति	संख्या	13	19	15	47
	%	***(26.0%)***	***(19.2%)***	***(29.4%)***	***(23.5%)***
अन्य पिछडा वर्ग	संख्या	5	17	8	30
	%	***(10.0%)***	***(17.2%)***	***(15.7%)***	***(15.0%)***
सामान्य	संख्या	0	0	1	1
	%	***(0.0%)***	***(0.0%)***	***(2.0%)***	***(0.5%)***
योग	संख्या	50	99	51	200
	%	***(100.0%)***	***(100.0%)***	***(100.0%)***	***(100.0%)***

अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के 51 परिवारों में 51 प्रतिशत (26 परिवार) अनुसूचित जाति से, 29. 4 प्रतिशत (15 परिवार) अनुसूचित जनजाति के तथा 15.7 प्रतिशत (8 परिवार) परिवार अन्य पिछडा वर्ग के थे। (देखें सारणी –4)

नियमित रुप से प्रतिमाह राशन की दुकान से सामान लाना

अध्ययन में शामिल परिवारों से जानना चाह कि क्या वह नियमित रूप से राशन की दुकान से सामान लाते है। मात्र 13.5 प्रतिशत परिवारों ने कहा की हां वह नियमित रूप से राशन की दुकान से सामान लाते है। 82 प्रतिशत परिवारों में निकल कर आया की वह नियमित रूप से राशन की दुकान से सामान नहीं लाते है। 4.5 प्रतिशत परिवारों ने कोई जवाब नहीं दिया। जिन परिवारों ने कहा की वह नियमित रूप से सामान नही लाते है। इसके पीछे उनका मुख्य तर्क था कि राशन की दुकान नयिमित रूप से नहीं खुलती है, जब भी दुकान खुलती है। तो हमें मालुम पड़ जाता है तो सामान ले आते है। नही तो नहीं ला पाते है। अधिकाश लोगो का यह भी कहना था की जिस दिन भी दुकान खुलती है। वह भी दिन भर नही खुलती है। दिन में 3 से 4 घंटे ही दुकान खुलती है।

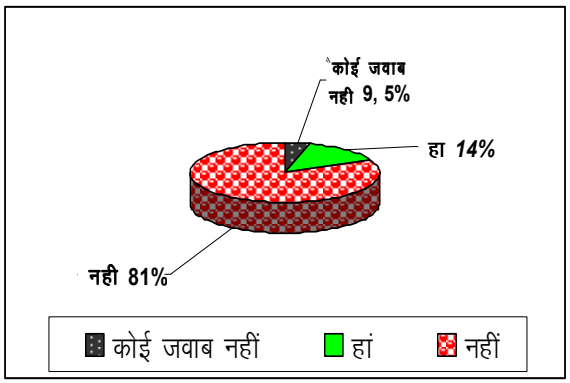

सारणी न. – 5

नियमित रुप से राशन की दुकान से सामान लाना

वर्ग		नियमित रूप से सामान लाते है			
		कोई जवाब नहीं	हां	नहीं	योग
कोई उत्तर नहीं	संख्या	0	1	2	3
	%	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
अनुसूचित जाति	संख्या	7	16	96	119
	%	5.9%	13.4%	80.7%	100.0%
अनुसूचित जनजाति	संख्या	0	8	39	47
	%	0.0%	17.0%	83.0%	100.0%
अन्य पिछडा वर्ग	संख्या	2	2	26	30
	%	6.7%	6.7%	86.7%	100.0%
सामान्य	संख्या	0	0	1	1
	%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
योग	संख्या	9	27	164	200
	%	4.5%	13.5%	82.0%	100.0%

अनुसूचित जाति के अनुसूचित जन जाति के 13.4 प्रतिशत, नियमित रूप से सामान लाते है वहीं 80.7 प्रतिशत परिवार नियमित रूप से सामान नहीं ला पाते है, 5.9 प्रतिशत परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया। अनुसूचित जन जाति के 17 प्रतिशत, नियमित रूप से सामान लाते है वहीं 83 प्रतिशत परिवार नियमित रूप से सामान नहीं ला पाते है। अन्य पिछडा वर्ग के 6.7 प्रतिशत परिवार कहते हैं कि वह नियमित रूप से सामान लाते है 86.7 प्रतिशत परिवारोंका कहना था कि वह नियमित रूप से सामान नहीं ला पाते है। (देखें सारणी –5)

क्या परिवार की जरुरत की पूर्ति के लिए बाजार से अनाज खरीदना पड़ता है ?

राशन की दुकान पर मिलने वाले गेंहूँ की अतिरिक्त बाजार से अनाज खरिदना पड़ता है, 83 प्रतिशत (168 परिवार) परिवारों का कहना था कि उन्हें बाजार से अनाज खरिदना पड़ता है। 15 प्रतिशत (29 परिवार) परिवार का कहना था कि नही खरीदना पडता है। 2 प्रतिशत (3 परिवार) परिवारों ने कोई जवाब नहीं दिया।

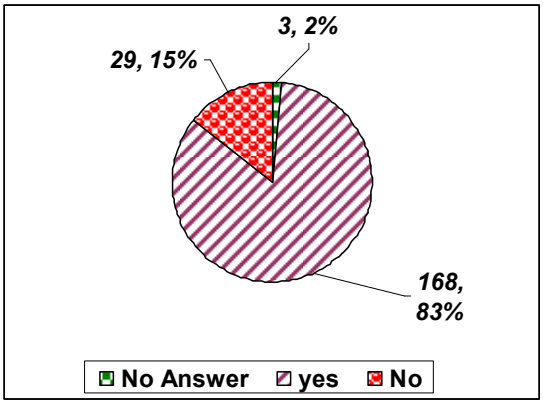

जिन परिवारों ने बाजार से अनाज खरीदना स्वीकार किया उनमें 86.3 प्रतिशत (44 परिवार) अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारी है। बी.पी.एल कार्डधारी 84.8 प्रतिशत (84 परिवार) परिवार व 80 प्रतिशत (40 परिवार) ए.पी.एल. कार्डधारी है जो बाजार से अनाज खरीदते हैं। बाजार से अनाज नही खरीदने वाले अन्त्योदय अन्न योजना 13.7 प्रतिशत (7 परिवार), बी.पी.एल कार्डधारी 12.1 प्रतिशत (12 परिवार) परिवार व 20 प्रतिशत (10 परिवार) ए.पी. एल. कार्डधारी है। (देखें सारणी –6)

सारणी न. – 6

बाजार से अनाज खरीदना

बाजार अनाज खरीदते है।		ए.पी.एल.	बी.पी.एल	अन्त्योदय अन्न योजना	योग
कोई जवाब नहीं	संख्या	0	3	0	3
	%	0.0%	3.0%	0.0%	1.5%
हां	संख्या	40	84	44	168
	%	80.0%	84.8%	86.3%	84.0%
नहीं	संख्या	10	12	7	29
	%	20.0%	12.1%	13.7%	14.5%
योग	संख्या	50	99	51	200
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

जो परिवार बाजार से अनाज नही खरीदते है उनमें से ए.पी.एल. श्रेणी के 80 प्रतिशत परिवार (8 परिवार) खेती–बाड़ी से जो उत्पन होता है, उसका उपयोग करते है। जबकि एक परिवार को दूसरो से मांग कर काम चलाना पड़ता है तथा एक परिवार अनाज उधार लेते है बाद में उन्हे वापस लौटा देते है। बी.पी.एल. श्रेणी के 66.6 प्रतिशत परिवार (8 परिवार) खेती–बाड़ी से जो उत्पन होता है, उसका उपयोग करते है। जबकि एक परिवार खेती–बाड़ी व दूसरो से मांग कर काम चलाना पड़ता है। दो परिवार अनाज उधार लेते है बाद में उन्हे वापस लौटा देते है।

अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के 1 परिवार खेती–बाड़ी से जो उत्पन होता है, उसका उपयोग करते है। 2 परिवारों को दूसरो से मांग कर काम चलाना पड़ता है जबकि 1 परिवारों खेती–बाड़ी

व दूसरो से मांग कर काम चलाना पड़ता है। 3 परिवार दूसरो से अनाज उधार लेते है बाद में उन्हे वापस लौटा देते है।

बाजार से अनाज खरीदने वाले अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के 45.4 प्रतिशत (20 परिवार) परिवार प्रति माह बाजार से अनाज खरीद कर काम चलाते है, 50 प्रतिशत (22 परिवार) परिवारों के पास जब भी पैसा होता है, वह महिने में दो तीन बार या इससे अधिक बार अनाज खरीदते है। दो परिवार ही वर्ष में एक बार पूरे साल का अनाज खरीदते है। बी.पी.एल. श्रेणी के 43 प्रतिशत (36 परिवार) परिवार प्रतिमाह बाजार से अनाज खरीद कर काम चलाते है, 46.4 प्रतिशत (21 परिवार) परिवारों के पास जब भी पैसा होता है, वह महिने में दो तीन बार या इससे अधिक बार अनाज खरीदते है। 8 प्रतिशत परिवार ही वर्ष में तीन चार बार अनाज खरिदते है। मात्र एक परिवार ही वर्ष में एक बार पूरे साल का अनाज खरीदते है।
ए.पीएल. श्रेणी के 50 प्रतिशत (20 परिवार) परिवार प्रति माह बाजार से अनाज खरीद कर काम चलाते है, 50 प्रतिशत (20 परिवार) परिवार ही वर्ष में 3–4 बार अनाज खरीदते है।

राशन कार्ड किसके पास रहता है ?

अध्ययन में शामिल परिवारों से जानना चाह कि आपका राशन कार्ड किसके पास रहता है। 97.5 प्रतिशत (195 परिवार) परिवारों के पास राशन कार्ड खुद के पास था। 2.5 प्रतिशत (5 परिवार) परिवारों ने बताया कि उनका राशन कार्ड राशन डीलर के पास है। इनमें से दो– दो परिवार नवातला व सोखडों की बेरी के है। एक परिवार खारडी गांव का है।

क्या राशन की दुकान महिने में कम से कम 20 दिन खुलती है ?

अध्ययन में शामिल परिवारों से जानना चाह कि क्या आपके गांव में राशन की दुकान महिने में कम से कम 20 दिन खुलती है। 95 प्रतिशत परिवारों कहा कि नही हमारे यहां राशन की दुकान पूरे माह नहीं खुलती है। 3 प्रतिशत लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि दो प्रतिशत लोगो ने कहा 'हां' हामरे यहां राशन की दुकान महिने में कम से कम 20 दिन खुलती है।

दुकान महिने में कितनी बार ही खुल पाती है ?

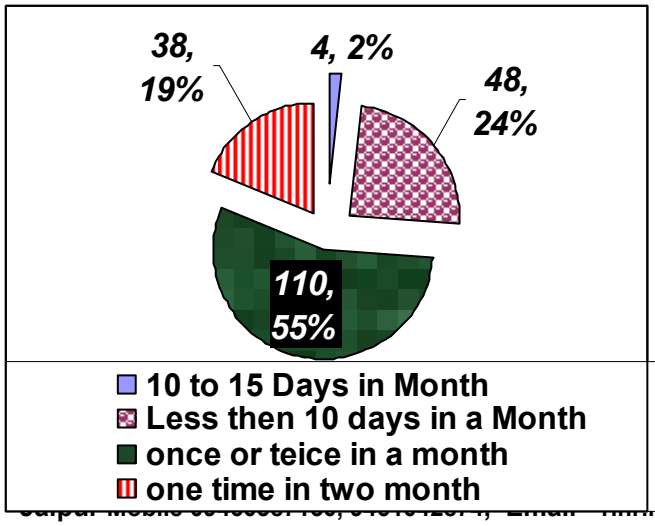

महिने में कितने दिन दुकान खुलती है। 2 प्रतिशत (4 परिवार) मानते है कि दुकान महिने में 10–15 दिन खुलती है। यह परिवार बडनावा व खारडी गांव के है। 48 प्रतिशत परिवार मानते है कि उनके गांव में दुकान महिने में कम से कम दस दिन तो खुलती ही है। बडनावा, पारलु व सराणा गावों के 50 प्रतिशत से अधिक परिवारो का कहना था उनके गांव में दुकान महिने में कम से कम दस दिन तो

खुलती ही है। इन तीनों गांवो में ग्राम सहकारी समिति द्वारा दुकान का संचालन किया जाता है। 55 प्रतिशत लोगों का कहना था कि उनके गांव में दुकान महिने एक या दो बार ही खुलती है। 19 प्रतिशत शत लोगों का कहना था कि उनके गांव में राशन की दुकान दो महिने में एक बार ही खुलती है। नवातला गांव के 75 प्रतिशत परिवार, सौखडों की बेरी गांव के 55 प्रतिशत परिवार, सूरजबेरा के 30 प्रतिशत व रिछोली गांव के 20 प्रतिशत परिवार, का कहना था कि उनके गांव में दुकान महिने एक या दो बार ही खुलती है। रिछोली गांव में ग्राम सहकारी समिति ,ारा दुकान का संचालन किया जाता है।

माह में एक बार से ज्यादा बार अनाज खरीदने की सुविधा ?

95 प्रतिशत परिवारो का कहना है राशन की दुकान पर उन्हें माह में एक बार से ज्यादा बार खरीदने की सुविधा नहीं है 10 प्रतिशत प्रतिशत परिवार ही कहते है कि वह राशन की दुकान से एक महिने एक से अधिक बार अनाज ला सकते है।

राशन की दुकान पर सामान खरीदने कौन जाता है ?

अध्ययन में शामिल परिवारों से जानना चाह कि क्या आपके गांव में राशन की दुकान से सामान खरीदने कौन जाता है। 54 प्रतिशत परिवारों में परिवार का पूरूष मुखिया ही सामान खरीदने जाते है। 40 प्रतिशत परिवारो में परिवार की महिला सदस्य तथा 6 प्रतिशत परिवारों में परिवारों में परिवार के बच्चे राशन की दुकान से सामान खरीदने जाते है।

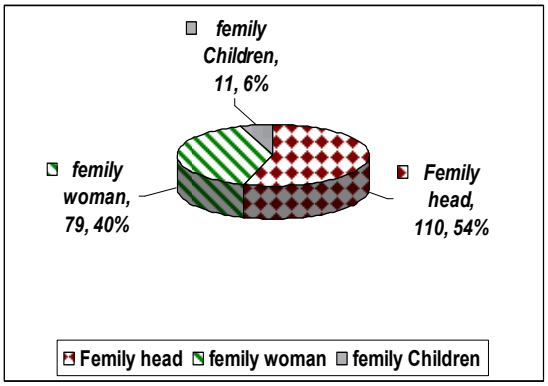

राशन डीलर का व्यवहार

किसी भी विक्रेता का व्यवहार ही उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि विक्रेता उपभोक्ता के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उपभोक्ता उसकी किसी भी गलती या बेईमानी को भूल जाता है। यदि विक्रेता कितना भी ईमानदार हो यदि उपभोक्ता के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं तो उपभोक्ता उसके पास जाने से घबराता है। राशन विक्रेता जान कर उपभोक्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते है ताकि उपभेक्ता उसके पास अनाज की मांग करने नहीं जांये।

(सर्वेक्षण के दौरान एक ग्रामीण द्वारा कहा)

अध्ययन में शामिल परिवारों से जानना चाह कि आपके गांव में राशन डीलर का आपके साथ कैसा व्यवहार होता है। मात्र 17.5 प्रतिशत परिवार ही मानते है कि राशन डीलर का हमारे प्रति अच्छा तथा सहयोग पूर्ण व्यवहार रहता है जबकि 43.5 प्रतिशत उपभोक्ता मानते है राशन डीलर

का उनके प्रति व्यवहार *भेदभाव पूर्ण व नफरत व असहयोग भरा होता है*। 39 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि राशन डीलर का उनके प्रति व्यवहार ठीक– ठाक है।

अनुसूचित जाति के कुल परिवारों में में 45.4 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि राशन डीलर का उनके प्रति व्यवहार *भेदभाव पूर्ण व नफरत व असहयोग भरा होता है*। मात्र 16.8 प्रतिशत परिवार ही मानते है कि राशन डीलर का हमारे प्रति अच्छा तथा सहयोग पूर्ण व्यवहार रहता है। 37.8 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि राशन डीलर का उनके प्रति व्यवहार ठीक– ठाक है।

सारणी न. – 7

राशन डीलर का उपभोक्ता के प्रति व्यवहार

		दुकानदार का व्यवहार					
वर्ग		ठीक–ठाक	अच्छा	सहयोग पूर्ण	भेदभाव पूर्ण	नफरत व असहयोग	योग
कोई उत्तर नहीं	संख्या	3	0	0	0	0	3
	%	***100.0%***	***0.0%***	***0.0%***	***0.0%***	***0.0%***	***100.0%***
अनुसूचित जाति	संख्या	45	19	1	46	8	119
	%	***37.8%***	***16.0%***	***0.8%***	***38.7%***	***6.7%***	***100.0%***
अनुसूचित जनजाति	संख्या	22	5	0	19	1	47
	%	***46.8%***	***10.6%***	***0.0%***	***40.4%***	***2.1%***	***100.0%***
अन्य पिछडा वर्ग	संख्या	7	6	4	11	2	30
	%	***23.3%***	***20.0%***	***13.3%***	***36.7%***	***6.7%***	***100.0%***
सामान्य	संख्या	1	0	0	0	0	1
	%	***100.0%***	***0.0%***	***0.0%***	***0.0%***	***0.0%***	***100.0%***
योग	संख्या	78	30	5	76	11	200
	%	***39.0%***	***15.0%***	***2.5%***	***38.0%***	***5.5%***	***100.0%***

अनुसूचित जनजाति के कुल परिवारों में में 42.5 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि राशन डीलर का उनके प्रति व्यवहार *भेदभाव पूर्ण व नफरत व असहयोग भरा होता है*। मात्र 10.6 प्रतिशत परिवार ही मानते है कि राशन डीलर का हमारे प्रति अच्छा तथा सहयोग पूर्ण व्यवहार रहता है। 46.8 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि राशन डीलर का उनके प्रति व्यवहार ठीक– ठाक है।

पिछले छः माह में अनाज का वितरण

अध्ययन में शामिल 10 गावों में विगत छः माह (अप्रेल से सितम्बर 2008) के दौरान अध्ययन में शामिल 200 परिवारों के राशन काडों में डीलर द्वारा वितरित किये गये अनाज की वितरण माह का विश्लेषण करते है निकल कर आता है कि किसी भी गांव में राशन डीलर द्वारा किसी पिछले छः माह में नियमित रूप से राशन वितरित नहीं किया है। जूलाई माह में ही सभी दस गांवों में अनाज वितरित किया गया। गांव वार स्थिति का विश्लेषण करें तो स्थिति और भी खराब निकल कर आती है। ग्राम गोलिया नवातला सूरजबेरा सोखडो की बेरी में किसी भी माह में ओसतन 5 से 30 प्रतिशत लोगो को ही अनाज वितरित किया गया। जिन गांवों में ग्राम सहकारी समिति (बडनावा, पारलू, रिछोली, तथा सराणा) अनाज वितरण का काम कर रही वहां जिस जि माह में अनाज का वितरण हुआ है 40– 75 प्रतिशत लोगो को अनाज वितरित किया गया। गोलिया गांव में पिछले छः

माह में सिर्फ अप्रेल व जूलाई में गैहूँ वितरण किया अन्य माह में किसी प्रकार काक अनाज का वितरण नहीं किया गया। (देखें सारणी –7)

सारणी न. – 7

राशन डीलर माहवार वितरित अनाज से होने वाले लाभान्वितों का प्रतिशत

गांव का नाम	*अप्रैल*	*मई*	*जून*	*जुलाई*	*अगस्त*	*सितम्बर*	*योग*
गोलिया	30%	0%	0%	25%	0%	0%	13%
कंवरली	45%	50%	50%	20%	15%	15%	33%
बडनावा	0%	50%	0%	55%	40%	5%	28%
नवातला	5%	20%	5%	20%	10%	0%	19%
पारलू	5%	65%	5%	75%	5%	40%	33%
रिछोली	0%	50%	0%	55%	0%	50%	27%
खारड़ी	10%	50%	0%	10%	55%	5%	22%
सराणा	20%	10%	35%	80%	0%	0%	24%
सूरजबेरा	5%	5%	10%	10%	10%	25%	13%
सोखडो की बेरी	25%	0%	5%	45%	0%	10%	14%
योग	29%	60%	20%	80%	27%	30%	

उपरोक्त दस गांवों में प्रति माह लाभाविन्तों का प्रतिशत देखे तो ज्ञात होता है कि माह मई व जूलाई में क्रमशः 60 प्रतिशत व 80 प्रतिशत लोग इससे लोग लाभांवित हुए है।

राशन डीलर को अनाज की उपलब्धता व वितरण

अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक राशन डीलर को उपलब्ध करवायी गई गैहूँ की मात्रा तथा डीलर को चाही गई मात्रा का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ग्राम गोलिया, कंवरली, सराणा व सोखडो की बेरी में डीलर को पूरी मात्रा में गैहूँ या तो उपलब्ध करवाया है या डीलर ने पूरी मात्रा में गैहूँ का उठाव किया है।

सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ए.पी.एल के लिये वितरण हेतु अनाज भी प्रत्येक डीलर को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। अध्ययन में शामिल 10 गांवो में 4 गांवो (गोलिया, कंवरली, सराणा व सोखडो की बेरी) में विगत छ एक बार भी अनाज उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिन डीलरो को अनाज उपलब्ध करवाया गया है उन्हें भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध करवाया गया है। इससे यह स्पस्ट होता है की सरकार की मंशा ए.पी.एल को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध करवाने की नहीं है। जिन डीलरों को विगत छः माह में अनाज उपलब्ध करवाया गया है। उन डीलरों ने भी पूरी मात्रा मे ए. पी.एल का गैंहूँ वितरित नहीं किया।

विगत छः माह में बडनावा, खारड़ी व रिछोली डीलरों द्वारा एक भी परिवारों को अनाज वितरित नहीं किया है। नवातला डीलर ने मई व जूलाई में एक –एक परिवार को 10–10 किलो अनाज वितरित करना पाया गया, पारलु में जूलाई में तीन परिवारों को 10–10 किलो, तथा सूरजबेरा में सितम्बर माह में तीन परिवारों का 10–10 किलो अनाज वितरित करना पाया गया। (देखें सारणी – 8)

बालोतरा क्षेत्र के होलसेल वितरक द्वारा उपलब्ध करवाये आंकडों को विश्लेषित करने पर ज्ञात होता है। किसी भी डीलर को प्रतिमाह गैहूँ उपलब्ध ही नहीं करवाया जाता है। यहां तक की ग्राम सहकारी समिति को नहीं।

सारणी न. – 8

राशन डीलर को उपलब्ध करवायी गई मात्रा

अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक राशन डीलर को उपलब्ध करवायी गई गैहूँ की मात्रा					अप्रैल 2008 से सितम्बर 2008 तक राशन डीलर को आवश्यक गैहूँ की मात्रा			
								मात्रा क्विटल में
	BPL	AAY	APL	Total	BPL	AAY	APL	Total
गोलिया	67.65	53.40	0.00	121.05	128.1	54.6	422.4	605.1
कंवरली	46.80	49.15	0.00	95.95	107.1	73.5	175.8	356.4
बडनावा	356.20	203.00	**100.00**	659.20	310.8	172.2	0.0	483.0
नवातला	208.04	133.56	**73.80**	415.40	243.6	132.3	488.4	864.3
पारलू	160.65	46.55	**204.75**	411.95	186.9	48.3	628.8	864.0
रिछोली	207.30	111.68	**180.00**	498.98	451.5	79.8	442.8	974.1
खारड़ी	131.10	99.60	**30.00**	260.70	147.0	69.3	234.0	450.3
सराणा	26.50	60.00	0.00	86.50	94.5	52.5	493.8	640.8
सूरजबेरा	50.75	54.85	**15.00**	120.60	58.8	54.6	107.4	220.8
सोखडो की बेरी	164.00	131.90	0.00	295.90	346.5	203.7	475.2	1025.4

नोट – राशन डीलर को आवश्यक गैहूँ की मात्रा की गणना राशन डीलर के पास आंवटित कार्ड धारको की संख्या तथा बी.पी.एल व अन्त्योदय को 35 किलो के हिसाब से तथा ए.पी.एल को प्रति माह 10 किलो के हिसाब से की गई।

बडनावा गांव के डीलर को अप्रेल, मई, जूलाई, अगस्त व सितम्बर माह तक बी.पी.एल. परिवारों को वितरित करने के लिये 356.20 क्विटल गैहूँ उपलब्ध करवाया गया। इस डीलर के पास में 148 बी.पी. एल. परिवारों को राशन वितरण करना होता है। उसे प्रति माह 51.80 क्विटल गैहूँ की आवश्यकता होती है इसे मई, जूलाई, अगस्त व सितम्बर माह तक क्रमशः 58.0, 95.0, 103..0 व 100.0 क्विटल गैहूँ उपलब्ध करवाया गया। (देखें परिशिष्ट – 2)

वहीं गोलिया गांव के डीलर को अप्रैल व जून में बी.पी.एल. परिवारों को वितरित करने के लिये 67.65 क्विटल गैहूँ उपलब्ध करवाया गया। इसे प्रति माह 61 बी.पी.एल. परिवारों को राशन वितरण करना होता है इसके लिये प्रति माह 21.35 क्विटल गैहूँ की आवश्यकता होती है परन्तु डीलर को अप्रैल व जून में क्रमशः 24.8 क्वि. व 42.85 क्विटल ही गैहूँ उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार कंवरली गांव के डीलर मई व जूलाई माह में 46.80 क्विटल गैहूँ उपलब्ध करवाया गया। इसे प्रति माह 51 बी.पी.एल. परिवारों को राशन वितरण करना होता है इसके लिये प्रति माह 17.85 क्विटल गैहूँ की आवश्यकता होती है। परन्तु डीलर को मई व जूलाई में क्रमशः 21.25 क्वि. व 25.55 क्विटल ही गैहूँ उपलब्ध करवाया गया। (देखें परिशिष्ट – 2)

डीलरो को उपलब्ध करवायी करवायी गई मात्रा व उनकी आवश्यकता का विश्लेषण करते है। तो डीलरो को कभी भी उनकी आवश्यकता के अनुसार व प्रतिमाह गैहूँ उपलब्ध ही नही करवाया गया। जिससे वह उपभोक्ता नियमित रूप से गैहूँ वितरण कर पाये। जिन्हे पूरी मात्रा में गैहूँ उपलब्ध करवाया गया उन्होने पूरा वितरित नही किया।

राशन डीलर की प्रति माह आमदनी

राशन डीलर के द्वारा गैहूँ वितरण नहीं किया जाना, समय पर गैहूँ नहीं देना, ज्यादा रूपये लेना, कम तोलना आदि आरोप लगाये जाते है। जो काफी हद तक सही भी नजर आते है। इनके पीछे दो मुख्य कारण निकल कर आते है। पहला स्वय सरकार द्वारा समय पर अनाज उपलब्ध नहीं करवाना तथा पूरी मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं करवाना। दुसरा डीलर को प्रतिमाह होने वाली आय उसके खर्चे सेअधिक होना। सर्वेक्षण के दौरान डीलर की प्रतिमाह आमदनी के बारे में पुछने पर ज्ञात हुआ कि इनकी राशन की दुकान से प्रतिमाह आमदनी 1000 से कम होती है जबकि दुकान संचालन का खर्च 400 से 800 रूपये के मध्य होता है। (देखें सारणी – 9)

सारणी न. – 9

राशन डीलर की प्रतिमाह आय व व्यय

गांव का नाम	प्रति माह आमदनी	प्रति माह खर्च					प्रति माह कुल खर्चा
		दुकान किराया	बिजली बिल	पानी बिल	अन्य	स्टेशनरी	
गोलिया	1000 से कम	500	0	0	100	100	700
कंवरली	1001 से कम	500	0	0	0	0	500
बडनावा चारणान्	1500 से अधिक	0	500	200	200	100	1000
नवातला	1000 से कम	500	0	0	500	100	1100
पारलू	-	0	300	50	0	0	350
रिछोली	1000- 1500	0	200	0	100	200	500
खारड़ी	500 से कम	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
सराणा	-	0	300	0	0	100	3300 (3000 FOR SEALSMAN)
सूरजबेरा	1000 से कम	500	0	0	250	100	850
सोखडो की बेरी	-	-	-	-	-	-	-

राशन डीलर को मिलने वाला कमीशन बहुत ही कम है। 100 किलो अनाज के वितरण पर डीलर को मात्र 7 से 8 रूपये कमीशन तथा खाली बोरी मिलती है। 100 लीटर तेल के वितरण पर 45 रूपये कमीशन के मिलते है। इसी वजह से डीलर अनेक प्रकार की बैईमानी करके अपनी मासिक आय बढातें है।

निष्कर्ष एंव सुझाव

बालोतरा ब्लाक में किये गये इस अध्ययन के उपरान्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आते है कि

- राज्य सरकार स्वंय इस योजना को क्रियान्विति नहीं करना चाहती है।

- ग्राम स्तर संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जितना लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिल रहा हैं।
- सरकार द्वारा समय पर डीलर को गैहूँ की आपूर्ति नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से गैहूँ का वितरण नहीं हो रहा जिसका नुकसान गरीब जनता को हो रहा हैं।
- डीलर को मिलने वाला कमीशन बहुत कम है। जिसकी वजह से वह कई प्रकार की बेईमानी कर रहा है।
- नियमित रूप से दुकान नहीं खुलने के कारण उपभोक्ता अनाज लेने से वंचित रहते है।
- उच्च जाति राशन डीलरों के लोगों द्वारा जातिगत भेदभाव ज्यादा किया जाता है।
- अन्य डीलरों की अपेक्षा ग्राम सहकारी समिति द्वारा अपेक्षा कृत्त ज्यादा मात्रा में अनाज का वितरण किया जाता है।
- ग्राम सहकारी समिति को अपेक्षा कृत्त ज्यादा मात्रा मे अनाज उपलब्ध करवाया गया है।

सुझाव

- ग्राम स्तर पर प्रभावी निगरानी समिति हो।
- राशन डीलर को नियमित रूप अनाज उपलब्ध करवाया जाये।
- राशन डीलर का कमीशन बढाया जाना चाहिए।
- दुकानों का संचालन स्थानीय महिला समूह/एस.एच.जी. के माध्यम से करवाया जाना चाहीए।
- दुकान संचालन के नियमों का कडाई से पालन किया जाना चाहिए।
- सरकारी मूल्याकन ज्यादा प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

गांववार राशन डीलर का नाम, व वितरक का विवरण

गांव का नाम	ग्राम पंचायत	राशन डीलर का नाम	वितरण का स्थान	वितरक	राशन डीलर की जाति	गांव से डीलर की दुकान की दूरी (कि.मी.)
गोलिया	पाटोदी	गोविन्द राम	पाटोदी	डीलर	मेघवाल	2
कंवरली	कालेवा	तखत सिंह	कंवरली	डीलर	राजपूत	3
बडनावा चारणान्	बडनावा जागीर	रतनाराम	बडनावा जागीर	ग्राम सहकारी समिति		3
नवातला	नवातला	स्वरूपाराम	नवातला	डीलर	जाट	0
पारलू	पारलू	जयसिंह	पारलू	ग्राम सहकारी समिति	राजपूत	0
रिछोली	गोपडी	हरचन्दराम	रिछोली	ग्राम सहकारी समिति	जाट	0
खारड़ी	खन्नौडा	मेघाराम	खारड़ी	डीलर	मेघवाल	0
सराणा	सराणा	बाबूसिंह	सराणा	ग्राम सहकारी समिति		0
सूरजबेरा	चिलानाडी	अमरसिंह	सूरजबेरा	डीलर	राजपूत	0
सोखडो की बेरी	रूपजी राजा की बेरी	पेमाराम	रूपजी राजा की बेरी	डीलर	जाट	3

डीलरों को विगत छः माह में उपलब्ध करवायी गई गैहूँ की मात्रा

गांव का नाम	वर्ग	अप्रेल		मई		जून		जूलाई		अगस्त		सितम्बर		योग	
		गैहूँ	चावल	गैहूँ	चावल	गैहूँ	चावल	गैहूँ	चावल	गैहूँ	चावल	गैहूँ	चावल	गैहूँ	चावल
गोलिया	BPL	24.80	0.00	0.00	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.65	0.00
	AAY	35.20	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कंवरली	BPL	0.00	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00
	AAY	0.00	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बडनावा चारणान्	BPL	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	103.10	0.00	100.10	0.00	356.20	0.00
	AAY	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	52.20	0.00	44.30	0.00	203.00	0.00
	APL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
नवातला	BPL	45.65	0.00	0.00	49.20	0.00	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00	82.40	0.00	208.40	49.20
	AAY	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	44.10	0.00	133.56	0.00
	APL	0.00	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00
पारलू	BPL	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00	62.75	0.00	160.65	0.00
	AAY	7.55	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	46.55	0.00
	APL	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.75	0.00	204.75	0.00
रिछोली	BPL	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	80.80	0.00	207.30	0.00
	AAY	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	111.60	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00
खारड़ी	BPL	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40	0.00	39.50	0.00	131.10	0.00
	AAY	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	46.20	0.00	99.60	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
सराणा	BPL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00
	AAY	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सूरजबेरा	BPL	11.40	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	50.75	0.00
	AAY	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	54.85	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
सोखडो की बेरी	BPL	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
	AAY	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00
	APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	BPL	150.85	0.00	209.00	49.20	42.85	0.00	479.00	0.00	152.50	0.00	385.15	0.00	1419.35	49.20
	AAY	160.16	0.00	197.45	0.00	18.20	0.00	276.35	0.00	59.40	0.00	231.80	0.00	943.36	0.00
	APL	0.00	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	15.00	0.00	224.75	0.00	603.55	0.00

नोट – बडनावा चारणान्, पारलू, रिछोली व सराणा में ग्राम सहकारी समिति राशन की दुकान का संचालन करते है।

गांववार डीलर द्वारा वितरित किये अनाज का विश्लेषण

गांव का नाम	कार्ड धारक का प्रकार	विश्लेषण
गोलिया	अन्त्योदय	पिछले छः महिनों के सर्वेक्षण में शामिल परिवारों को दो बार गेहू वितरित होना पाया गया। इनमें भी दो ही परिवारो के राशन कार्ड पर तारीख अंकित थी अन्य राशन कार्डो पर नही। एक राशन कार्ड नं 6 पर अप्रेल 2008 व 2 जुलाई 2008 तथा इसमें दूसरे राशन कार्ड (कार्ड नं 7) पर 2/4/2008 अंकित नही थी परन्तु वितरित किये गये अनाज की मात्रा अंकित थी ।
	बी.पी.एल	बी.पी.एल परिवारों की भी यही स्थिति थी । यहॉ भी सभी परिवारों को दो बार अनाज वितरित होना बताया अप्रेल माह की 22 तारीख को तथा जुलाई माह की 2 तारीख को वितरण बताया गया । इसके पूर्व व उपरान्त वितरण की तारीख नही अंकित है सिर्फ मात्रा अंकित है।
	ए.पी.एल.	विगत छ एक बार भी अनाज उपलब्ध नहीं करवाया गया।
कंवरली	अन्त्योदय	सर्वेक्षण में शामिल एक परिवार नं 6 के राशन कार्ड में 29 मई 26 जुलाई व 28 सितम्बर माह में 70.70 किलो अनाज वितरण अंकित किया हुआ है । अन्य किसी भी परिवार को जून के बाद अनाज वितरण नही बता रखा इन परिवारों को अप्रेल मई जून में प्रतिमाह 35–35 किलो अनाज वितरण दर्शाया गया है तथा यहॉ तारीख अंकित नही है।
	बी.पी.एल	दो परिवारो नं16, 17 को सितम्बर माह में 27, 28 तारीखों में 70 70 किलो गेहू वितरित होना बताया गया है । दो ही परिवार नं 16 ,17 को पिछले 6 माह में मई में जुलाई व सितम्बर माह में क्रमशः 40 किलो व 70 70 किलो गेहू वितरित किया गया अन्य परिवारों में दो से चार बार ही अनाज वितरित हुआ ।
	ए.पी.एल.	विगत छ एक बार भी अनाज उपलब्ध नहीं करवाया गया।
बडनावा	अन्त्योदय	माह सितम्बर से एक परिवार नं 1 को ही 13 सितम्बर को 70 किलो गेहू वितरित होना पाया गया। इस परिवार को अप्रेल से सितम्बर के मध्य तक 175 किलो गेहू देना बताया गया, दो परिवारो को छोड अन्य तीन परिवारों को पिछले छ माह में 175 से 200 किलो गेहू वितरित किया गया बताया गया ,वे मुस्लिम समाज के है तथा उनका मानना है कि हम सूचना के अभाव में अनाज नही ले पाते क्योकि दूकान महिने में एक बार ही खुलती है।
	बी.पी.एल	सर्वेक्षण में शामिल 50 प्रतिशत परिवारों को पिछले छ महिने में 180 किलो अनाज वितरित करना बताया गया है अन्य 50 प्रतिशत परिवारों को 6 माह में या दो बार ही अनाज वितरित करना बताया गया है।
	ए.पी.एल.	विगत छ एक बार भी अनाज वितरण नहीं किया गया।
नवातला	अन्त्योदय	2 परिवारों को अगस्त माह में गेहू वितरित होना दर्शाया गया है इसमें एक परिवार को 80 किलो तथा दूसरे परिवार को 35 किलो गेहूँ वितरित होना दर्शाया गया है एक परिवार को ही पिछले 6 माह में 180 किलो गेहू मिला है । अन्य परिवारो को एक या दो बार ही गेहू प्राप्त हुआ है यहॉ राशन कार्ड में वितरण की दिनांक अंकित नही की गई है।

	बी.पी.एल	सर्वेक्षण में शामिल दो परिवारो को ही जुलाई माह में गेहूँ वितरित होना दर्शाया गया है तथा तीन परिवारो को मई माह में गेहूँ वितरित होना दर्शाया गया अन्य के कार्ड में वितरण तो दर्शाया गया है परन्तु तारीख अंकित नही है।
	ए.पी.एल.	मई व जूलाई में एक–एक परिवार को गेहूँ वितरित होना दर्शाया गया
पारलु	**अन्त्योदय**	60 प्रतिशत परिवारो को सितम्बर माह में 70–70 किलो गेहू वितरित होना बताया गया जुलाई माह में 80 प्रतिशत परिवारो को गेहू वितरित होना दर्शाया गया जिनमे 40 प्रतिशत दो परिवार को 105 105 किलो व 40 प्रतिशत परिवारों को (2 परिवारो) को 70 70 किलो गेहू बॉटना बताया गया है। मई माह में सभी परिवारो को गेहू वितरित होना पाया गया है इनमे तीन परिवारो को 70 70 किलो व दो परिवारो को 35 35 किलो गेहू वितरित होना दर्शाया गया इनमें दो परिवारो को पिछले 6 महिने में 210 किलो गेहू वितरित होना पाया गया ,शेष परिवारो को 140 किलो गेहू वितरित होना पाया गया ।
	बी.पी.एल	सितम्बर माह में 50 प्रतिशत परिवारो को 70 70 किलो गेहू बॉटना बताया गया है यह गेहू 9 ,11, 12, 24 सितम्बर में वितरित करना दर्शाया गया है जुलाई माह में 70 प्रतिशत परिवारों को गेहू वितरित करना बताया गया है इनमें से 50 प्रतिशत परिवारो को 70, 70 किलो व 1–1 परिवार को 40 किलो व 60 किलो गेहूँ वितरित करना दर्शाया गया है, यह गेहूँ 19, 25, 26, 27,को वितरित करना दर्शाया गया है । मई माह में 80 प्रतिशत (8 परिवारों) को गेहू वितरित करना दर्शाया गया है जिनमें 89 प्रतिशत परिवारो को 20,20 किलो व 1 परिवार को 70 किलो गेहू वितरित करना दर्शाया गया है।
	ए.पी.एल.	जूलाई माह में तीन ही परिवार को 10–10 गेहू वितरित करना पाया गया,
रिछोली	**अन्त्योदय**	अध्ययन मे शामिल 80 प्रतिशत परिवार (4 परिवारो)को विगत 6 माह में 210 किलो गेहू वितरित होना पाया गया एक परिवार को ही 140 किलो गेहू वितरित किया गया ।
	बी.पी.एल	50 प्रतिशत (5 परिवार)को सितम्बर माह में 70 70 किलो गेहू वितरित करना दर्शाया गया है। 50 प्रतिशत (5 परिवार)को जुलाई माह में 70 70 किलो गेहू एक परिवार को 40 किलो गेहूँ वितरित करना दर्शाया गया है, मई माह में 60 प्रतिशत परिवारो को 40,40 किलो गेहूँ वितरित करना दर्शाया गया है। यहॉ मई जुलाई व सितम्बर माह में गेहू वितरण दर्शाया गया है।
	ए.पी.एल.	विगत छ एक बार भी अनाज वितरण नहीं किया गया।
खारडी	**अन्त्योदय**	सितम्बर माह में एक ही परिवार को 35 किलो गेहू वितरित करना दर्शाया गया है अगस्त माह में 80 प्रतिशत (4परिवारो) को गेहू वितरित करना पाया गया है। इनमें 20 परिवारो को 105 ,105 किलो व एक परिवार को 80 किलो व एक परिवार को 140 ,140 किलो गेहू वितरित करना पाया गया है।एक परिवार को मई व अगस्त में कुल 245 किलो गेहू वितरित करना दर्शाया गया है।
	बी.पी.एल	सितम्बर माह में एक भी परिवार को गेहू मिलना नही पाया गया है अगस्त में 70 प्रतिशत परिवारो (7 परिवार) को गेहू वितरित करना दर्शाया गया है। 6 परिवारो 70–70 किलो व एक परिवार को 105 किलो गेहू वितरित करना दर्शाया गया है। मई माह में 80 प्रतिशत (8 परिवार) को गेहू वितरित करना दर्शाया गया है इनमें एक परिवार को 20 किलो तथा शेष 7 परिवारो को 60–60 किलो गेहू वितरित करना दर्शाया गया है । अप्रेल ,जुलाई में एक एक परिवार को गेहू वितरण पाया गया जिन्हे 20,20

		किलो गेहूँ दिया गया।
	ए.पी.एल.	विगत छ एक बार भी अनाज वितरण नहीं किया गया।
सराणा	**अन्त्योदय**	सराणा में अगस्त व सितम्बर माह में एक भी परिवार को गेहूँ वितरित करना नही पाया गया जुलाई माह में शत प्रतिशत लोगो को 105,105 किलो गेहू वितरित करना पाया गया मई में एक परिवार को तथा अप्रेल में 4 परिवारो को 35,35 किलो गेहू वतरित करना पाया गया
	बी.पी.एल	माह जुलाई में सभी बी.पी.एल परिवारो को गेहूँ वितरित करना पाया गया। इनमें 30 प्रतिशत (3परिवार) को 60, 60 किलो व 60 प्रतिशत (6 परिवारों) परिवारो को 40,40 किलो गेहूँ वितरित करना पाया गया। जून में 50 प्रतिशत परिवारो को 20 20 किलो गेहू वितरित करना पाया गया इनमें दो परिवार को एक ही माह जून में 24 व 26 जून को क्रमशः 20 व 40 किलो गेहूँ वितरित करना पाया गया।
	ए.पी.एल.	विगत छ एक बार भी अनाज उपलब्ध नहीं करवाया गया।
सूरजबेरा	**अन्त्योदय**	सितम्बर माह में एक ही परिवार को गेहू वितरित करना पाया गया, दो परिवारो को अगस्त माह में 35, 35 किलो गेहूँ वितरित करना पाया गया। जुलाई में एक परिवार को ही 35 किलो गेहूँ वितरित करना पाया गया एक परिवार को जूलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह 35, 35 किलो गेहूँ वितरित करना पाया गया ।
	बी.पी.एल	सितम्बर माह में एक ही परिवार को गेहूँ वितरित करना पाया गया, इसी परिवार को अप्रेल व मई में गेहूँ मिला । अप्रेल में इन्हे 40 किलो मई में 60 किलो, सितम्बर में 70 किलो गेहूँ मिला अन्य को नही मिला।
	ए.पी.एल.	सितम्बर माह में तीन ही परिवार को 10–10 गेहू वितरित करना पाया गया,
सोंखडों की बेरी	**अन्त्योदय**	सितम्बर माह में एक ही परिवार 20.9.2008 को 70 किलो गेहूँ वितरित करना पाया गया अन्य परिवारो की कोई जानकारी नही, जुलाई माह में एक परिवार को 70 किलो गेहूँ मिला अन्य परिवारों को पिछले 6 महिनो से कोई गेहूँ नही मिला ।
	बी.पी.एल	सितम्बर माह में एक ही परिवार को 100 किलो व दूसरे परिवार को 70 किलो गेहू वितरित किया गया, जुलाई में 80 प्रतिशत (8 परिवार) को गेहूँ प्राप्त हुआ जिनमें दो परिवारो को 70 ,70 किलो तथा शेष परिवारो को नही मिला।
	ए.पी.एल.	विगत छः एक बार भी अनाज उपलब्ध नहीं करवाया गया।